

प्रेषिका,

श्रद्धा त्रिपाठी,
अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी० 41,
(महिलाओं के विरुद्ध अपराध), कानपुर नगर ।

सेवा में,

श्रीमान् महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद ।

द्वारा: श्रीमान् जनपद न्यायाधीश,
कानपुर नगर ।

संदर्भ- सहायक अभियोजन अधिकारी के रूप में कार्यरत सेवा (11.04.2005 से 06.10.2010) को वर्तमान उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में जोड़े जाने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषय में सादर अवगत कराने का सम्मान प्राप्त हुआ है कि उ०प्र० शासन द्वारा पत्रांक संख्या 14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 के द्वारा राज्य सरकार के ऐसे सरकारी सेवक जिनकी सेवा का विज्ञापन 28.03.2005 के पूर्व जारी हो चुका था लेकिन पुरानी पेंशन योजना से अच्छादित नहीं थे, क्योंकि सेवा 28.03.2005 के पश्चात नियुक्ति प्राप्त की थी। ऐसे सरकारी सेवकों को नयी पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन प्रणाली विकल्प के रूप में चुनने का अवसर प्रदान किया गया है। चूंकि पुरानी पेंशन योजना अधिक लाभकारी है। अतः अधोहस्ताक्षरी नवीन पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना में आच्छादित होना चाहती है।

यह भी अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी ने उ०प्र० न्यायिक सेवा में दिनांक 07 जनवरी 2010 को माननीय उच्च न्यायालय की अधिसूचना संख्या 2048/AR (S)/2009, दिनांकित 17.12.2009 से कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उ०प्र० शासन के अधीन अभियोजन विभाग में सहायक अभियोजन अधिकारी कानपुर देहात के पद पर कार्यरत रही थी। उ०प्र० शासन के अधीन अभियोजन विभाग से सम्बन्धित विज्ञापन संख्या ए-4/ई-1/2002 विज्ञापित हुयी थी, जो 28.03.2005 के पूर्व की है, जो कि (अनुलग्नक संख्या-1) है।

उक्त सेवा में अधोहस्ताक्षरी का चयन होने के उपरान्त दिनांक 05.04.2005 अभियोजन निदेशालय उ०प्र० द्वारा नियुक्ति पत्र पत्रांक संख्या एक-दो-136-2004/2109/05 लखनऊ दिनांक: 05 अप्रैल 2005 जारी हुआ, जो (अनुलग्नक संख्या-2) है। तत्पश्चात अधोहस्ताक्षरी द्वारा डा० भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद में आधारभूत प्रशिक्षण ग्रहण करने हेतु सहायक अभियोजन अधिकारी के रूप में दिनांक 11.04.2005 को सहायक अभियोजन अधिकारी के रूप में प्रभार ग्रहण कर लिया गया, जो (अनुलग्नक-3) है। तत्पश्चात आधारभूत प्रशिक्षण के उपरान्त जनपद कानपुर देहात में कार्यमुक्त होने तक सहायक अभियोजन अधिकारी के रूप में कार्य करती रही। अनुसंलग्नक -4 व 5 सहायक अभियोजन अधिकारी कानपुर देहात में के रूप में कार्यभार ग्रहण करने छायाप्रति है।

यह भी उल्लेखनीय है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर कार्य करते हुये अभियोजन विभाग की अनुमति के उपरान्त उ०प्र० न्यायिक सेवा सिविल जज (जू०डि०) परीक्षा 2006 का आवेदन किया था जो (अनुलग्नक- 6, 7 व 8) है। उ०प्र० न्यायिक सेवा सिविल जज (जू०डि०) परीक्षा 2006 में चयनोपरान्त विभाग की अनुमति से पत्रांक संख्या-एक-दो-एपीओ-कार्यमुक्त-2009/34/09 दिनांक 05 जनवरी 2010 के द्वारा नियमानुसार कार्यमुक्त होकर (अनुलग्नक 9) उ०प्र० न्यायिक सेवा को माननीय उच्च न्यायालय की अधिसूचना संख्या 2048/AR (S)/2009, दिनांकित 17.12.2009 के अनुपालन में न्यायिक मजिस्ट्रेट फैजाबाद के रूप में दिनांक 07.10.2010 को कार्यभार ग्रहण किया गया। दिनांक 06.01.2010 को सहायक अभियोजन अधिकारी कानपुर देहात के पद से औपचारिक रूप से कार्यमुक्त होकर ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी कानपुर देहात के पत्रांक संख्या 03/अभि०-श्रद्धा-पीएफ-कादे/2010 दिनांक 06 जनवरी 2010 के जरिये कार्यमुक्ति प्राप्त की गयी थी, जो कि (अनुलग्नक-10 व 11) है।

चूंकि सहायक अभियोजन अधिकारी के पद का विज्ञापन वर्ष 2003 में हुआ था। अतः उक्त पद उ०प्र० शासन के पत्रांक संख्या 14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 पुरानी पेंशन योजना से अच्छादित है तथा अधोहस्ताक्षरी द्वारा नियमानुसार उ०प्र० न्यायिक सेवा में आवेदन किया गया है तथा अभियोजन विभाग से कार्यमुक्त होकर उ०प्र० न्यायिक सेवा का पदभार ग्रहण किया गया है। अतः उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में सहायक अभियोजन अधिकारी के रूप में कार्यरत रहने के दौरान की गयी सेवा को जोड़ा जाना आवश्यक है, जिससे अधोहस्ताक्षरी को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ प्राप्त हो सके।

अतः महोदय से विनम्र प्रार्थना है कि उ०प्र० शासन के समक्ष सहायक अभियोजन अधिकारी के रूप में कार्यरत रहने की सेवा तथा उ०प्र० न्यायिक सेवा में कार्यरत रहने की सेवा जोड़े जाने की प्रार्थना के साथ पत्र प्रेषित किये जाने की कृपा करें।

सादर ।

भवदीया,

दिनांक-12.07.2024

(श्रद्धा त्रिपाठी)

अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी.-41

(महिलाओं के विरुद्ध अपराध) कानपुर नगर।

I.D.No U.P. 1806

संलग्नक-

- 1- सहायक अभियोजन अधिकारी की विज्ञप्ति संख्या ए-4/ई-1/2002 की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
- 2- दिनांक 05.04.2005 अभियोजन निदेशालय उ०प्र० द्वारा नियुक्ति पत्र पत्रांक संख्या एक-दो-136-2004/2109/05 लखनऊ दिनांक: 05 अप्रैल 2005 की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
- 3- डा० भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद में आधारभूत प्रशिक्षण ग्रहण करने हेतु सहायक अभियोजन अधिकारी के रूप में पत्र संख्या-प-449/2005/दिनांक 11.04.2005 को सहायक अभियोजन अधिकारी के रूप में प्रभार ग्रहण की स्वप्रमाणित छायाप्रति।

- 4- डा० भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद में आधारभूत प्रशिक्षण ग्रहण करने हेतु सहायक अभियोजन अधिकारी के रूप में पत्र संख्या -प-449/2005/दिनांक 07.10.2005 को सहायक अभियोजन अधिकारी के रूप में प्रभार हस्तान्तरण की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
- 5- सहायक अभियोजन अधिकारी कानपुर देहात में के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
- 6- उ०प्र० न्यायिक सेवा सिविल जज (जू०डि०) परीक्षा 2006 का आवेदन करने की अनुमति प्रदान करने का प्रार्थना पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
- 7- उ०प्र० न्यायिक सेवा सिविल जज (जू०डि०) परीक्षा 2006 का आवेदन करने की अनुमति अभियोजन निदेशालय का पत्रांक संख्या-एक-दो-एपीओ-एनओसी-पार्ट-2/1014/2006 दिनांक 21 फरवरी 2007 की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
- 8- अभियोजन निदेशालय उ०प्र० का उ०प्र० सिविल जज (जू०डि०) के साक्षात्कार में सम्मिलित होने का अनापत्ति प्रमाण पत्र पत्रांक संख्या एक-दो-एपीओ-एनओसी-पार्ट-3/5965/सीबी दिनांक 10 नवम्बर 2008 की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
- 9- अभियोजन निदेशालय उ०प्र० का उ०प्र० सिविल जज (जू०डि०) के पद पर चयन के फलस्वरूप कार्यमुक्ति आदेश पत्रांक संख्या एक-दो-एपीओ-कार्यमुक्त-2009/34/09 दिनांक 05 जनवरी 2010 की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
- 10- ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी कानपुर देहात का कार्यमुक्ति आदेश पत्रांक संख्या 03/अभि०-श्रद्धा-पीएफ-कादे/2010 दिनांक 06 जनवरी 2010 की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
- 11- ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी कानपुर देहात का कार्यमुक्ति आदेश पत्रांक संख्या 04/अभि०-श्रद्धा-पीएफ-कादे/2010 दिनांक 06 जनवरी 2010 की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
- 12- माननीय उच्च न्यायालय की अधिसूचना संख्या 2048/AR (S)/2009, दिनांकित 17.12.2009 की स्वप्रमाणित छायाप्रति।